माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 1992-93

NIEPA DC

D08555

षक प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रकाशक :

माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT FOR THE YEAR 1992-93 OF SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT.

There is a vast arrangement of providing Secondary Education in the State. During the reporting period 1401 Middle, 2105 High and 470 Senior Secondary Schools (Inculuding 9 Navodya Vidyalyas) were in existence in the state in which 436151, 1171799 and 4,54,065 students received education respectively. During this period the percentage of students reading in 6th to 8th Classes in the age-group population of 11-13 was 73.9 boys and 52.2 girls and the percentage of Scheduled Castes students was 67.9 boys and 41.3 girls. Similary, the percentage of students studying in 9th and 10th classes in the age group population of 14-15 was 68.0 boys and 34.7 girls and the percentage of Scheduled Caste in these classes was 51.6 boys and 19.0 girls. The number of the teachers imparting education in Middle, High and Secondary School was 12419, 35832 and 13,936 respectively. The Education facilities exists within a radious of 1.90 Kms. and 2.35 Kms. in the Middle & High Schools/ Secondary Schools respectively.

During the period under report 55 Primary, 63 Middle and 30 High Schools were upgraded to Middle, High and Senior Secondary Schools respectively.

In the year 1992-93, Rs. 23236.96 lakhs were spent on Secondary Education. The Expenditure of Non-Government schools to the extent of 75% of the deficit is met by the State Government in form of maintenance grant. During this period, an amount

of Rs. 2033.39 lakhs was given to Non-Government Schools in the form of grant.

Free education is provided from 6th to 8th classes in all Government Schools of the State. Besides girls are provided free education upto 10+2 classes in all Government Schools. During the reporting period free stationery worth Rs. 108.66 lakhs was provided to 1,97,500 students belonging to Scheduled Castes and weaker sections students Rs. 75.30 lakhs were provided for giving free uniforms to 1,28,700 Harijan and weaker section Girls students.

Special coaching is provided to Scheduled castes students of 9th and 10th classes in the subject of Mathematics, English and Science for three months. Rs. 14.95 lakhs were provided for this purpose in 1992–93. Girls students in Govt. schools are also given coaching in these subjects and Rs. 42.60 lakhs were spent on it in 1992–93.

During the reporting period Rs. 520.44 lakhs were spent on various scholarships out of which Rs. 439.56 lakhs were spent on students be longing to Scheduled Caste/Backward Classes in the State.

Assistance to the tune of Rs. 256000/–was given from teachers welfare fund to Teachers and their dependents in indigent circumstances,

A State Council of Educational Research and Training has been set up for guidance of the Educational Institutions, administrators connected with the education and teachers through activities of standardization of education, innovation, research, studies and training.

Rs. 36 lakhs were arranged for purchase of dual desks for the students of Secondary Schools.

According to the rule of Defence Ministry Government of India Cadets are given Military Training in the three wings of Navy, Military and Air Force of Army under N.C.C. project. During the year under report number of Junior Divisions Cadets was 16650.

During the year under report Smt. Shanti Rathee held the charge of Minister for education and Sh. A. Banerjee held the office of Financial Commissioner and Secy. of Education Department.

Smt. Manju Gupta, I.A.S. held the office of Director of Secondary Education in this period.

LIBRARY & DOCUMENTATION UNIT
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-8555
DOC, No .....
Date ..... 05-05-95.

माध्यमिक शिक्षा विभाग की वर्ष 1992–93 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

राज्य में माध्यमिक शिक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था है । रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में 1401 मिडल, 2105 उच्च तथा 470 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (जिसमें 9 नवोदय विद्यालय है) चल रहे हैं, जिनमें क्रमशः 436151, 1171799 तथा 4,54,065 छात्रों ने शिक्षा ग्रहण की । इस अवधि में 11–13 आयु वर्ग की जनसंख्या में से कक्षा 6–8 में पढ़ने वाले कुल छात्रों की प्रतिशतता 73.9 लड़के और 52.2 लडकियां और अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशतता 67.9 लड़के और 41.3 लड़कियां थी । इसी प्रकार 14–15 आयु वर्ग की जनसंख्या में से नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले कुल छात्रों की प्रतिशतत 68.0 लड़के और 34.7 लड़कियां थी और अनुसूचित जाति के छात्रों की प्रतिशतता 51.6 लड़के और 19.0 लड़कियां थी । वर्ष 1992-93 में मिडल, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या क्रमशः 12419, 35832 तथा 13,936 थी । मिडल और उच्च शिक्षा/सैकण्डरी शिक्षा सुविधा क्रमशः 1.90 कि० मी० और 2.36 कि० मी० की परिधी में उपलब्ध है ।

रिपोर्टाधीन अवधि में 55 प्राथमिक, 63 मिडल और 30 उच्च विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर क्रमशः मिडल, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाया गया ।

वर्ष 1992-93 में माध्यमिक शिक्षा पर 23236.96 लाख रुपये व्यय किये गये । राज्य सरकार अराजकीय विद्यालयों के घाटे की 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति अनुरक्षण अनुदान के रूप में करती है । रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय विद्यालयों को अनुदान के रूप में 2033.39 लाख रुपये की राशी दी गई ।

राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में छटी से आठवीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा दी जाती है । इसके अतिरिक्त लड़कियों को राज्य के राजकीय विद्यालयों में

10+2 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। रिपोर्टाधीन अवधि में अनुसूचित जाति तथा कमजोर वर्ग के 1,97,500 छात्र/छात्राओं को 108.66 लाख रुपये की मुफ्त लेखन सामग्री प्रदान की गई। 1,28,700 हरिजन जाति की छात्राओं को मुफ्त वर्दी देने के लिए 75.30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

नौवीं तथा दसवीं कक्षा में पढ़ रहे अनसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में तीन मास के लिए विशेष कोचिंग दी जाती हैं। वर्ष 1992-93 में इसके लिए 14.95 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली अन्य छात्राओं को भी इन विषयों में कोचिंग दी गई तथा 42.60 लाख रुपये खर्च हुए।

रिपोर्टाधीन अवधि में 520.44 लाख रुपये विभिन्न छात्रवृतियों पर व्यय किये गये जिनमें 439.56 लाख रुपये अनुसूचित जाति/पिछड़ी जातियों के छात्रों पर व्यय किये गये।

विपदाग्रस्त अध्यापकों/उनके आश्रितों को राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण कोष से 256000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।

शिक्षा स्तर को समुन्नत करने सम्बंधी क्रिया कलापों, नई पद्धति, अन्वेषण, अध्ययन तथा प्रशिक्षण के माध्यम से शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं के प्रशासकों तथा अध्यापकों के मार्ग दर्शन हेतु राज्य में एक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना की गई है।

माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के डयूल डैस्क खरीदने के लिए 36 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार एन० सी० सी० परियोजना के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल, थल और वायु सेवाओं का प्रशिक्षण राज्य में कैडिटों को दिया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि में जूनियर डिविजन के कैडिटस की संख्या 16650 थी।

रिपोर्टाधीन अवधि में श्रीमति शान्ति राठी, शिक्षा मंत्री तथा श्री ए0 बेनर्जी, आई0ए0एस0 ने शिक्षा आयुक्त एवं सचिव के रूप में कार्य किया। निदेशक सैकण्डरी शिक्षा के पद पर श्रीमति मंजु गुप्ता, आई. ए. एस. ने कार्य किया।

अध्याय पहला

प्रशासन एवं संगठन

वर्ष 1992-93 में श्रीमति शान्ति राठी शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन थी। शिक्षा वित्तायुक्त एवं सचिव के पद पर श्री ए. बेनर्जी आई० ए० एस० तथा संयुक्त सचिव के पद पर श्री आर० सी० राव आई० ए. एस. ने कार्य किया।

निदेशालय स्तर पर

निदेशक सैकण्डरी शिक्षा के पद पर श्रीमति मंजु गुप्ता, आई० ए० एस० ने कार्य किया। निम्नलिखित पदों पर नियुक्त अन्य अधिकारियों ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए निदेशक सैकण्डरी शिक्षा को सहयोग दिया:-

क्रमांक	पदों का नाम	अधिकारियों की संख्या
1.	निदेशक एस0 आर0 सी0	1
2.	संयुक्त निदेशक विद्यालय	1
3.	ओ0 एस0 डी0 (विद्यालय)	1
4.	प्रशासन अधिकारी (विद्यालय)	1
5.	उप निदेशक	6
6.	युवा एवं खेल अधिकारी	1
7.	सहायक निदेशक	7
8.	मुख्य लेखा अधिकारी	1
9.	बजट अधिकारी (विद्यालय)	1

10. रजिस्ट्रार शिक्षा (विद्यालय) 1

11. सहायक जिला न्यायवादी 1

जिला स्तर पर

राज्य के प्रत्येक जिले में विद्यालय शिक्षा का प्रशासन, नियन्त्रण और विकास का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा का विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्य रूप देते हैं। जिलों में शिक्षा विकास कार्य को भली भांति चलाने के लिए सभी उप मण्डलों में उप मण्डल शिक्षा अधिकारी अपने उप मण्डल में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हैं।

जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए एक-एक उप जिला शिक्षा अधिकारी तथा एक-एक विज्ञान परामर्शदाता तथा एक-एक सहायक शिक्षा अधिकारी (खेल-कूद) भी नियुक्त हैं।

विद्यालय स्तर पर

सभी राजकीय मिडल, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासन मुख्याध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता है। सभी मुख्य अध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी/विभाग के प्रति उत्तरदायी है।

अराजकीय विद्यालय

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्धक समितियों द्वारा चलाया जाता है। ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्षिक अनुदान देता है। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं।

शिक्षा पर व्यय

वर्ष 1992–93 में माध्यमिक शिक्षा पर 23236.90 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इसमें से योजनेतर पक्ष में 19600.59 लाख रु० तथा

योजना पक्ष में 3636.31 लाख रुपये की राशि व्यय हुई । वर्ष 1991–92 में माध्यमिक शिक्षा पर 19503.13 लाख रु0 की राशि खर्च की गई जिसमें से योजनोत्तर पक्ष पर 17167.41 लाख रुपये की राशि खर्च की गई तथा योजना पक्ष पर 2335.72 लाख रुपये व्यय हुये ।

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

राज्य सरकार अराजकीय विद्यालयों के घाटे की 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति अनुरक्षण अनुदान के रूप में करती है । रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में 503.00 लाख रुपये की राशि दी गई । कोठारी अनुदान के अन्तर्गत इन विद्यालयों को 516.74 लाख रु0 की राशि दी गई । इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अराजकीय विद्यालयों के कर्मचारियों को वेतन, मकान किराया भत्ता, शहरी प्रतिपूर्ति भत्ता तथा डी0 ए0 इत्यादि के बकाया के भुगतान पर 940.74 लाख रु0 की राशि व्यय की गई । राज्य में जमा 2 स्तर पर छात्राओं को मुफ्त शिक्षा दी जाती है । अतः सहायता प्राप्त अराजकीय विद्यालयों की छात्राओं की फीस माफ करने के कारण हुए घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए 60.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई ।

रिपोर्टाधीन अवधि में कुछ अन्य संस्थाओं को भी अनुदान दिए गये जो निम्न प्रकार से है :—

क्रमांक	संस्थान	राशि (लाख रुपये में)
1.	साकेत मिडल विद्यालय, चण्डी मन्दिर	2.50
2.	संस्कृत महाविद्यालय	4.41
3.	हरियाणा वैलफेयर सोसायटी फार हीयरिंग एंड स्पीकिंग हैन्डीकैप्ड	6.00

अध्याय दूसरा

माध्यमिक शिक्षा

राज्य में माध्यमिक शिक्षा छठी से 12वीं कक्षा तक दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए राज्य में मिडल विद्यालय, उच्च विद्यालय तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

मिडल शिक्षा

राज्य में मिडल शिक्षा छठी सें आठवीं कक्षा तक दी जाती है। इसके लिए राज्य में अलग से मिडल विद्यालय हैं तथा इसके लिए छठी से आठवीं तक की कक्षाएं उच्च विद्यालयों तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में चलाई जा रही हैं। वर्ष 1992–93 में 55 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर उन्हे मिडल विद्यालय किया गया। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में मिडल स्कूलों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

मिडल विद्यालय	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	1030	167	1197
गैर सरकारी	201	3	204
जोड़	1231	170	1401

राज्य में मिडल शिक्षा सुविधा 1.90 कि0 मी0 की परिधि में उपलब्ध है। रिपोर्टाधीन अवधि में मिडल विद्यालय तथा मिडल स्तर पर पढ़ने

वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही है:—

(क) कुल छात्र संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	2,34,226	2,01,925	4,36,151
स्तर अनुसार	4,68,470	3,00,470	7,68,940
(ख) अनुसुचित जातियों की छात्र संख्या			
विद्यालय अनुसार	54,696	45,076	99,772
स्तर अनुसार	81,831	45,207	1.27,038

रिपोर्टाधीन अवधि में 11–13 आयु वर्ग की जनसंख्या में से छठी से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की प्रतिशतता निम्न प्रकार रही :—

	लड़के	लड़कियां	जोड़
कुल छात्रों की प्रतिशतता	73.9	52.2	63.6
अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशतता	67.9	41.3	55.3

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मिडल विद्यालयों तथा मिडल स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

(क) कुल अध्यापकों की संख्या	पुरूष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	7347	5072	12419
स्तर अनुसार	12665	7374	20039
(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या			
विद्यालय अनुसार	572	176	748
स्तर अनुसार	550	155	705

उच्च शिक्षा

राज्य में उच्च शिक्षा नौवीं और दसवीं कक्षाओं में दी जाती है। इसके लिए राज्य में उच्च विद्यालय स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त नौवीं और दसवीं की कक्षाएं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भी चलती हैं। वर्ष 1992–93 में 63 राजकीय मिडल विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर उन्हें उच्च विद्यालय किया गया। इसके अतिरिक्त 12 अराजकीय विद्यालयों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई। वर्ष 1992–93 में उच्च विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी:–

उच्च विद्यालय	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	1506	219	1725
गैर सरकारी	320	60	380
कुल	1826	279	2105

राज्य में उच्च शिक्षा सुविधा 2.35 कि0मी0 की परिधि में उपलब्ध है।

रिपोर्टाधीन अवधि में उच्च विद्यालयों तथा उच्च स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल छात्र संख्या

	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	7,23,162	4,48,637	11,71,799
स्तर अनुसार	2,29,877	1,28,431	3,58,308

(ख) अनुसुचित जातियों की छात्र संख्या

विद्यालय अनुसार	1,52,691	84,675	2,37,366
स्तर अनुसार	33,110	13,339	46,449

वर्ष 1992–93 में 14–15 आयु वर्ग की जनसंख्या में से नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की प्रतिशतता निम्न प्रकार थी :–

कुल छात्रों की प्रतिशतता	68.0	34.7	50.6
अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशतता	51.6	19.0	34.5

वर्ष 1992–93 में उच्च विद्यालयों तथा उच्च स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल अध्यापक संख्या

	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	21805	14029	35832
स्तर अनुसार	10602	5497	16099
(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या			
विद्यालय अनुसार	1025	306	1331
स्तर अनुसार	395	72	467

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय

राज्य में वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा ग्यारहवीं और बाहरवीं कक्षा में दी जाती है। रिपोर्टाधीन अवधि में 30 राजकीय उच्च विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर उन्हें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किया गया, एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को स्थाई मान्यता प्रदान की गई। वर्ष 1992-93 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	272	61	333
गैर सरकारी	107	30	137
जोड़	379	91	470

वर्ष 1992–93 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :

(क) कुल संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	2,98,532	155533	454065
स्तर अनुसार	110660	47165	157825

(ख) अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या

विद्यालय अनुसार	46731	18842	65573
स्तर अनुसार	13593	3091	16684

वर्ष 1992-93 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा कक्षाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल अध्यापक संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	7760	6176	13936
स्तर अनुसार	2745	1519	4264

(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या

	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	239	93	332
स्तर अनुसार	117	47	164

छात्रों को प्रोत्साहन

राज्य के सभी राजकीय एवं अराजकीय विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त लड़कियों को राजकीय एवं अराजकीय विद्यालयों में नौवीं से 12वीं कक्षा तक की भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। हरिजन, विमुक्त, टपरीवास/अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्र/छात्राओं को छठी से आठवीं तक 40 रु0 तथा नौवीं से 12 वीं तक 60/- रु0 प्रति छात्र/छात्रा की लेखन सामग्री हेतू वर्ष में एक बार दिये जाते हैं। वर्ष 1992-93 में इस योजना पर 68.26 लाख रुपये खर्च हुये तथा 111000 छात्र/छात्राओं को लाभ पहुंचाया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की राजकीय विद्यालयों में पढ़ रही छात्राओं को भी लेखन सामग्री खरीदने के लिए वर्ष 1992-93 में 40.40 लाख रुपये की व्यवस्था की गई तथा 66500 छात्राओं को लाभान्वित किया गया। कक्षा 6-8 में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति तथा कमजोर वर्ग की छात्राओं को 50 रु0 प्रति छात्रा की दर से मुफ्त वर्दी तथा कक्षा नौवीं से 12वीं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं

को 75/- रु0 प्रति छात्रा की दर से मुफ्त वर्दी तथा चुन्नी दुपट्टा देने हेतु 75.30 लाख रुपये खर्च किये गये तथा 128733 छात्राएं लाभान्वित हुई ।

बुक बैंक

माध्यमिक तथा उच्चतर विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना की हुई है तथा इससे अनुसूचित जाति तथा कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें दी जाती हैं। 6 वीं से आठवी कक्षा के ऐसे विद्यार्थियों के लिए योजनागत तथा योजनोत्तर पक्ष पर 13.50 लाख रुपये की व्यवस्था है तथा इसी प्रकार 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 10.50 लाख रुपये की व्यवस्था है। इस राशि से इस वर्ग के सभी सुयोग्य छात्र/छात्राओं को यह सुविधा दी जा रही है।

दोहरी पारी प्रणाली

राज्य के कुछ विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली भी चलती है। क्योंकि कई विद्यालयों में छात्र संख्या अधिक हो जाती है। अतः इन विद्यालयों में एक पारी दोपहर से पहले पढ़ती है तथा दूसरी पारी दोपहर बाद पढ़ती है।

सहशिक्षा की नीति

ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिनमें लड़कियों के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं है, वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है।

विशेष कोचिंग कक्षायें

नौवीं तथा दसवीं कक्षाओं में पढ़ रहे हरिजन जाति के बच्चों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में प्रतिवर्ष 3 मास के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है ताकि अनुसूचित जाति के कमजोर बच्चे अन्य छात्रों के बराबर आ सकें। ये कक्षायें आरम्भ करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 5 या उससे अधिक छात्र संख्या होनी चाहिए। इसके लिए वर्ष 1992-93 में 14.94 लाख रुपये खर्च किए गए।

राजकीय विद्यालयों में पढ़ रही अन्य वर्गों की पढ़ाई में कमजोर छात्राओं को भी गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी के विषयों में कक्षा 9 वीं तथा 10 वीं में विशेष कोचिंग दी जाती है । वर्ष 1992–93 में इसके लिए 42.60 लाख रुपये की व्यवस्था की गई ।

अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता स्तरोन्नत करने बारे स्कीम

यह योजना भारत सरकार द्वारा हरियाणा राज्य में वर्ष 1989–90 से श्री मद भगवद् गीता माध्यमिक विद्यालय, कुरुक्षेत्र में शुरू की गई । इसके अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा संचालित आठवीं कक्षा की परीक्षा के आधार पर मैरिट में आने वाले 16 छात्रों को नौवीं कक्षा में प्रति वर्ष प्रवेश दिया जाता है । इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 64 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे । इस पर वर्ष 1992–93 में 3.39 लाख रुपये खर्च हुए ।

अध्याय–तीसरा

छात्रवृति तथा अन्य वित्तीय सहायता

सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के भिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के लिए राज्य सरकार की भिन्न–2 योजनाओं के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृतियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के छात्रों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन के रूप में अनेक प्रकार की छात्रवृतियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से वजीफे एवं वित्तीय सहायता दी जाती है ।

योग्यता छात्रवृति योजना

राज्य सरकार की ओर से पांचवी कक्षा की परीक्षा के आधार पर 10/–रु0 प्रतिमास की दर से योग्यता छात्रवृति दी जाती है । यह छात्रवृति छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को दी जाती है। वर्ष 1992–93 में 4014 छात्रों को छात्रवृतियां दी गई तथा 14.45 लाख रुपए खर्च किए गए ।

आठवीं की परीक्षा पर आधारित योग्यता छात्रवृति उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की नौवीं तथा दसवीं कक्षाओं में 15/–रु0 मासिक प्रति छात्र की दर से दी जाती है । वर्ष 1992–93 में 3218 छात्रों को छात्रवृतियां दी गई तथा इस पर 11.59 लाख रुपये खर्च हुए ।

सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृतियां

देश के विभिन्न सैनिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले 561 हरियाणवी छात्रों पर छात्रवृतियां एवं कपड़ा भत्ता के रूप में 32.26 लाख रुपये व्यय किये गये । वर्ष 1991–92 में 546 छात्रों पर 31.12 लाख रुपये व्यय किये गये।

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य छात्र/छात्राओं को माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृतियां

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर की परीक्षा के आधार पर राज्य की ओर से 11 छात्रवृतियां प्रति विकास खण्ड की दर से दी जाती हैं । यह छात्रवतियां प्राप्त करने वाले छात्रों में से छात्रावास में रहने वाले छात्रो को 100/–रु0 प्रतिमास तथा डे स्कालरज को (जो छात्रावास में नहीं रहते) जो नौवीं तथा दसवीं कक्षा में पढ़ते हैं उन्हें 30/– रुपये प्रतिमास और ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा में पढ़ने वालों को 60/–रुपये प्रतिमास की दर से छात्रवृति प्रदान की जाती है । 1992–93 में इसके लिए 5.83 लाख रुपये की व्यवस्था की गई ।

अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त/टपरीवास जाति के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा संबंधी सभी स्कीमों के लिए राशि निदेशक, अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा जूटाई जाती है। शिक्षा विभाग केवल इन्हें कार्यान्वित करता है । यह योजना निम्नलिखित है :—

1. पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

राज्य में पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधायें तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं । निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृतियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है । इस योजना के अधीन नौवीं से बारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले पिछड़ी जाति के उन विद्यार्थियों को जिनके माता पिता अविभावक आयकर दाता नहीं हैं, 20/–रु0 प्रतिमास की दर से छात्रवृति दी जाती है । वर्ष 1992–93 में इस योजना पर 121.31 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई तथा 40,530 छात्रों को लाभ पहुंचाया । वर्ष 1991–92 में इस योजना पर 106 77 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 41000 छात्रों को लाभान्वित किया ।

2. अनुसूचित जाति की छात्र/छात्राओं को छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

राज्य में अनुसूचित जाति के सभी छात्र/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधायें तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता

प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं । इस योजना के अधीन नौवीं से बारहवीं कक्षाओं तथा विभागीय पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक आयकर दाता नहीं है, क्रमशः 20/-रु0 से 30 रु0 मासिक दर से छात्रवृति दी जाती है । वर्ष 1992-93 में इस योजना में 161.97 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 4935 छात्रों को लाभ पहुंचाया । वर्ष 1991-92 में इस योजना पर 141.57 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 42,000 छात्रों को लाभ पहुंचाया ।

छठी से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 15/-रु0 प्रति मास की दर से वजीफा दिया जाता है । इस योजना पर वर्ष 1992-93 में 149.37 लाख रुपये व्यय किये गये तथा 83330 छात्रों को लाभान्वित किया गया ।

3. टपरीवास/विमुक्त जाति के छात्रों को छात्रावृति देना

विमुक्त/टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृति के लिऐ अलग से एक विमुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है । इस योजना के अधीन छठी से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे विमुक्त/टपरीवास जाति के बच्चों को छात्रवृति प्रदान की जाती हैं । यह छात्रवृति छठी से आठवीं कक्षा तक 15/-रु0 मासिक दर से तथा नौवीं से बारहवीं कक्षा तक 16/-रु0 मासिक दर से दी जाती है । वर्ष 1992-93 में इस छात्रवृति के लिए 2.31 लाख रुपये की व्यवस्था की तथा 1100 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया । वर्ष 1991-92 में इस योजना पर 2.12 लाख रुपये खर्च हुए तथा 700 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया ।

4. अनुसूचित जाति की छात्राओं की योग्यता छात्रवृति योजना

इस योजना के अधीन प्रत्येक जिले में पांच छात्रवृतियां नोवीं कक्षा में दी जाती हैं । ये छात्रवृतियां मिडल स्तरीय परीक्षा के आधार पर दी जाती हैं कक्षा दसवीं, ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षाओं में भी जारी रहती हैं । ये छात्रवृतियां नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षाओं में क्रमशः 80/-रु0, 100/- रु0 120/-रु0, तथा 140/-रु0 प्रतिमास की दर से दी जाती हैं । वर्ष 1992-93

में इस योजना पर 6.91 लाख रुपये व्यय हुए तथा 615 छात्राओं को लाभान्वित किया गया। यह छात्रवृत्ति भी समाज कल्याण विभाग द्वारा जुटाई गई राशि में से दी जाती है।

5. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 1991-92 में आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत उन व्यक्तियों के बच्चों को, जो अस्वच्छ व्यवसाय में लगे हुए है, छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति छठी से आठवीं तक 40/- रुपये प्रतिमास की दर से तथा नौवीं से दसवीं तक 50/- रुपये प्रतिमास की दर से 10 मास के लिए दी जाती है। वर्ष 1992-93 में इस छात्रवृत्ति के लिए 14.06 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 2010 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। यह छात्रवृत्ति भी समाज कल्याण विभाग द्वारा जुटाई गई राशि में से दी जाती है।

तेलगू पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां

हरियाणा राज्य में तेलगू भाषा की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तेलगू भाषा पढ़ने वाले छात्रों को 10/- रुपये प्रतिमास की दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इसके अन्तर्गत सातवीं कक्षा में तीन छात्रवृत्तियां दी जाती है, जो आठवीं कक्षा में भी जारी रहती है। वर्ष 1992-93 में इसके लिए 24480/- रु० की व्यवस्था की गई।

संस्कृत भाषा विकास उच्च/उच्चतर विद्यालयों में संस्कृत पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना

यह स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस स्कीम पर व्यय होने वाली राशि की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। यह स्कीम हरियाणा राज्य में वर्ष 1992-93 में चालू की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत केवल उन्हीं विद्यार्थियों को नौवीं तथा ग्यारहवीं कक्षा में छात्रवृत्तियां दी जाती है, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से आठवीं तथा दसवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में संस्कृत का विषय लेकर पढ़ रहे हैं और

कम से कम 45 प्रतिशत अंक एग्रीग्रेट में भी प्राप्त करें । इन छात्रवृतियों का अगली कक्षा में संतोषजनक परिणाम के आधार पर नवीकरण किया जाता है । कक्षावार 20 छात्रवृतियां नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं तथा बारहवीं प्रत्येक कक्षा के लिए, नौवीं तथा दसवीं कक्षा के लिए 25/– रुपये तथा ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा के लिए 35/– रुपये प्रतिमास की दर से दी जाती है । वर्ष 1992–93 हेतू 14400/– रुपये की राशि का प्रावधान करवाया गया और 40 विद्यार्थियों को लाभन्वित किया गया ।

अध्याय चौथा

विविध

शिक्षक प्रशिक्षण :–

वर्ष 1988-89 में छः संस्थान मोहड़ा (अम्बाला) बिरही कलां (भिवानी) इक्कस (जीन्द) महेन्द्रगढ़, मदीना (रोहतक) डींग (सिरसा) में स्थापित करने हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इन सभी संस्थानों पर भवनों का निर्माण या तो पूरा हो गया है या चल रहा है। इनमें प्राथमिक अध्यायकों के सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इन संस्थानों के लिए वर्ष 1992-93 में 35.60 लाख रु0 की राशि उपकरण आदि के लिए भी स्वीकृत की गई।

इस अवधि में हरियाणा राज्य में निम्नलिखित संस्थाओं में डिप्लोमा इन एजुकेशन एवं ओटी की कक्षाएं चल रही हैं।

क्रमांक	संस्थान का नाम	बी0 एड0	ओ0 टी0
1.	रा0प्रा0पा0अ0प्र0 संस्थान फिरोजपुर नमक (गुड़गांवा)	155	——
2.	सम मोरनी हिल्ज	105	——
3.	सम आदमपुर	155	——
4.	सम लोहारू (भिवानी)	105	——
5.	सम जीन्द	100	——
6.	सम ऐलनाबाद (सिरसा)	105	——
7.	सम ओढ़ा (सिरसा)	105	——
8.	सम कौल (कैथल)	105	——
9.	जि0शि0एवं प्रशिक्षण संस्थान गुड़गांवा	50	50 (हिन्दी)
10.	सम सम सोनीपत	50	50 (संस्कृत)

वर्ष 1992–93 में 650 प्राथमिक अध्यापकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया । एक इंगलिश सैन्टर गुड़गांवा में स्थापित किया गया है । यहां विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण दिया जाता है । अध्यापकों को लघु कोर्स एवं पत्राचार द्वारा मार्गदर्शन देने का प्रावधान है ।

विद्यालय भवनों की देखभाल

सरकार ने वर्ष 1991–92 में राजकीय विद्यालय भवनों की मुरम्मत/अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु एक नई योजना बनाई है । इसके अन्तर्गत जिला स्तर पर भिन्न-2 विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध राशि को जिला स्तर की पूल मनी व शिक्षा विभाग के बजट में उपबन्धित राशि को संचित कर के भिन्न-भिन्न स्तर पर गठित की गई कमेटियों को देख रेख में मुरम्मत/निर्माण के कार्य सम्पन्न करवाये जाते हैं । वर्ष 1992–93 में इस स्कीम के अन्तर्गत 1178 राजकीय माध्यमिक/उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की मुरम्मत पर 418.34 लाख रु0 की राशि तथा 656 अतिरिक्त श्रेणी कक्षों का निर्माण 324.22 लाख रु0 की राशि से सम्पन्न करवाया गया । इसके अतिरिक्त 31-3-93 को 260 राजकीय विद्यालय भवनों की मुरम्मत तथा 803 श्रेणी कक्षों का निर्माण कार्य चल रहा था।

विद्यालय छात्र निधियों में संशोधन

सरकार ने अपने पत्र यादी क्रमांक 34/4/89 शि-II (3) दिनांक 18-12-92 के अन्तर्गत बाल कल्याण निधि के रूप में छात्रों से ली जाने वाली छात्र निधि की दर 5 पैसे से बढ़ाकर 25 पैसे प्रति छात्र प्रति मास करने का निर्णय किया है ।

भाषा नीति तथा भाषाई अल्पसंख्यक

हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है । यहां पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ते है । उच्चतर तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है । विद्यालयों में अंग्रेजी

दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है । यह छठी कक्षा से आरम्भ की जाती है। तीसरी भाषा में पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के विषयों में शिक्षा दी जाती है । इसके अतिरिक्त तेलगू की शिक्षा की सुविधा की 35 विद्यालयों में उपलब्ध है । सातवी तथा आठवीं श्रेणी में पंजाबी, उर्दू, संस्कृत तथा तेलगू भाषा में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं ।

हरियाणा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उन्हें अपनी भाषा का अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध है । यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 या विद्यालय में 40 से अधिक विद्यार्थी हों जो अल्पसंख्यक से संबंधित हों तो वे अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं । परन्तु पंजाबी तथा उर्दू के लिए विद्यार्थियों की यह संख्या किसी कक्षा के लिए 8 तथा विद्यालय के लिए 30 है ।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

अध्यापक कल्याण योजना के अन्तर्गत उन अध्यापकों/अध्यापिकाओं और उनके आश्रितों को जो विपदा स्थिति में हो आर्थिक सहायता दी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत शिक्षक दिवस पर झण्डा चन्दा के रूप में राशि एकत्रित की जाती है । वर्ष 1992-93 में झण्डा चन्दा के रूप में 278873 रु0 एकत्रित हुए । इस राशि में से प्रतिष्ठान मृतक अध्यापकों के दाह संस्कार, सेवानिवृत अध्यापकों की उनकी लड़कियों की शादी तथा उनके लम्बे समय की बिमारी पर भी सहायता देता है । कार्यरत अध्यापकों को उनकी बिमारी तथा उनके बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी सहायता देता है । वर्ष 1992–93 में अध्यापक कल्याण कोष से अध्यापकों/उनके परिवारों को 256000/–रुपये की राशि सहायता के रूप में वितरित की गई ।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

शिक्षा के स्तरोन्नत, विधि शोध, अन्वेषण, अध्ययन तथा प्रशिक्षण कार्यों के द्वारा प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े प्रशासकों तथा अध्यापकों के मार्गदर्शन हेतु राज्य में शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना की हुई है । आरम्भ से ही यह परिषद् अपनी विशिष्ट तथा विविध कार्य कलापों में संलग्न इकाईयों

के माध्यम से राज्य के शैक्षिक वातावरण को समय अनुसार करने के लिए यथा सम्भव प्रयासरत है।

कम्प्यूटर लिटरेसी

कम्प्यूटर लिटरेसी कलास प्रोजैक्ट स्कीम हरियाणा के 64 राजकीय स्कूलों में प्रारम्भ की गई है। भारत सरकार ने प्रत्येक विद्यालय को 5-5 कम्प्यूटर उपलब्ध करायें हैं । भारत सरकार द्वारा ही सी एम सी लिमिटिड नई दिल्ली के माध्यम से कम्प्यूटर को निशुल्क मैन्टीनैंस सेवाएं उपलब्ध हैं। जो विद्यालय कम्प्यूटर लिटरेसी के अधीन आते हैं उनमें तीन-तीन प्राध्यापकों को कम्प्यूटर लिटरेसी का प्रशिक्षण दिलवाया जाता है और इस परियोजना को सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है।

पाठ्य पुस्तक कक्ष

वर्ष 1992–93 के दौरान पाठ्य पुस्तक अनुभाग ने 50 पाठ्य पुस्तकों (14 प्राथमिक कक्षाओं के लिए तथा 36 माध्यमिक कक्षाओं के लिए) की समीक्षा एवं अद्यतन का कार्य किया। इसके अतिरिक्त कक्षावार, मासवार पाठ्य क्रम तैयार करके सभी राजकीय विद्यालयों को वितरित किया गया। नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक पुस्तिका निर्मित की गई और उसे विद्यालयों में बांटा गया, ताकि इस विषय को विद्यालयों में लागू किया जा सके।

बाबा साहब अम्बेदकर तथा गुरु जम्बेश्वरजी महाराज पर पाठ तैयार किए गये तथा उन्हे विभिन्न कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में समायोजित किया गया। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक अनुभाग ने विभिन्न पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा की।

माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए फर्नीचर

वर्ष 1992–93 में माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए डयूल डैस्क की व्यवस्था करने के लिए 36 लाख रुपये की व्यवस्था गई की; जो सभी जिलों में छात्र संख्या के अनुसार वितरित कर दी गई।

विज्ञान प्रदर्शनी

बालकों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उप मण्डल/जिला/राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1992-93 में भी इन स्तरों पर विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा इसके लिए 39,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

एन. सी. सी.

भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय द्वारा बनाये नियमों के अनुसार एन.सी. सी. परियोजना के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल, थल तथा वायु सेनाओं का प्रशिक्षण राज्य में कैडिटों को दिया जाता है। छात्र अपनी स्वेच्छा से एन. सी. सी. प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, अनिवार्य रूप से नहीं। इस प्रशिक्षण को चलाने का खर्च भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर करती है। विद्यालयों के छात्रों के लिए स्थापित जूनियर डिवीजन के कैडिटों की संख्या निम्न प्रकार रही :–

	कैडिट स्वीकृत संख्या
1. इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिए)	13750
2. इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कियों के लिए)	1000
3. जल विंग	450
4. वायु विंग	1450

प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा

राज्य में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सम्पूर्ण राज्य को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा हैं। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न जिलों में जिला साक्षरता परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। पानीपत जिले में साक्षरता परियोजना का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है और उच्चतर साक्षरता कक्षाएं आरम्भ की गई हैं। इनमें उन निरक्षरों को भी लिया जाएगा जो किसी कारण प्रथम चरण में साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं लाए जा सके थे। अम्बाला, यमुनानगर जींन्द, रोहतक, भिवानी एवं सिरसा जिलों की परियोजनाएं राष्ट्रीय साक्षरता

मिशन द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं और इन जिलों में परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है । कुरुक्षेत्र एवं हिसार जिलों में पर्यावरण निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

रिर्पोटाधीन अवधि में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम बन्द रहा है । केवल कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा वर्ष 1992–93 के दौरान 500 अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र चलाये जा रहे थे । इन केन्द्रों में 1–5 कक्षा तक 9878 छात्रों ने प्रवेश लिया । जिनमें 3903 लड़के तथा 5975 लड़कियां थी । इनमें 7516 छात्र (2352 लड़के तथा 5164 लड़कियां) सफल रहे । जिन्होंने अगली कक्षाओं में प्रवेश पाया ।

श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद

फरीदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को शिक्षा देने के लिए एक श्रमिक विद्यापीठ स्थापित है । इसका उद्देश्य औद्योगिक कुशल,अर्ध कुशल श्रमिकों को शिक्षा देना, रहन-सहन का ज्ञान देना, कोई घरेलू धंधा सीखने तथा उद्योगों के प्रवन्ध में भागीदार होने का ज्ञान देना है ।

राज्य संसाधन केन्द्र

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिकता शिक्षा से सम्बन्धि साहित्य समाग्री तयार करने तथा उपलब्ध करवाने के लिए निदेशालय स्तर पर राज्य संसाधन केन्द्र कार्यरत है । उसका सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

NIEPA DC
D08555

एन0 एस0 एस0

छात्रों के व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास .... गी सहायता से हरियाणा राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भी यह योजना चल रही है । वर्ष 1992–93 में 150 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में यह योजना चल रही थी जिसमें स्वीकृत स्वयं सेवकों की संख्या 15000 थी ।

LIBRARY & DOCUMENTA...
Nat...al Inst...tute of Ed...
...and Administration.
17-B, ...Aurobindo Marg,
...-110016 D-8555
DOC, No ...
Date 05-05-95

25595—D.P.I.—H.G.P., Chd.